आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांकः एन.एफ.टी/वी.सी./35/16–17 दिनांकः–30.मार्च, 2017

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

श्री राजेश कुमार एवं संजय गुप्ता,
निवासी बसेरा अपार्टमेन्ट,
खसरा संख्या 61/1 व 61/2, मौजा कलाल खेरिया,
फतेहाबाद रोड, आगरा।

विषयः– **वाद संख्या एन.एफ.टी/वी.सी./92/16–17 को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने शमन प्रार्थना पत्र दिनांक 30.03.2017 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। पत्र के साथ प्रेषित के शमन मानचित्र पर निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के तहत शमन स्वीकृति प्रदान की गयी हैः–

1. वास्तुविद द्वारा जारी स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।
2. अग्निशमन विभाग से अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
3. भू– स्वामित्व सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होने पर दी गयी शमन स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
4. स्थल का उपयोग शमन/स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जायेगा, अन्यथा की दशा में मानचित्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा तथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्णतः स्वतन्त्र होगा।
5. शमन उपविधि–2009 की धारा–2 की उपधारा–2 का पालन करना होगा।
6. शमन उपविधि की धारा–5 की उपधारा–2 के अन्तर्गत शमन शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि जमा होने पर ही शमन मानचित्र निर्गत किया जायेगा।
7. नियम–5.2 के अन्तर्गत आरोपित शमन शुल्क तथा नियम–07 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर किये गये व्यय की वसूली उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–40 के अनुसार भू–राजस्व के बकाए की भॉति की जायेगी।
8. आरोपित शमन धनराशि विलम्ब से जमा करने पर नियमानुसार 18 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड देय होगा।
9. शमन हेतु प्रस्तुत शपथ–पत्र का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही संस्थगित की जायेगी।
10. भविष्य में यदि किसी प्रकार की देयता बनती है, तो वह धनराशि पक्ष को स्वयं ब्याज सहित जमा करानी होगी।
11. आरोपित शमन धनराशि नियत समयावधि में जमा न करने की स्थिति में, स्थल पर मौजूद निर्माण को अवैध निर्माण मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
12. पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्मित/शमनित भवन को उपयोग में लाया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
13. मानक के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की नियमानुसार स्थापना करनी होगी, अन्यथा मांग किये जाने पर प्राधिकरण कोष में रुपया 10,00,000/– जमा कराने होंगे।
14. स्वीकृत मानचित्र में लगायी गयी समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित होगा।
15. श्रम विभाग से लेबर सेस हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय होगा, अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार लेबर सेस जमा कराना होगा, तदोपरान्त ही मानचित्र अवमुक्त किया जायेगा।
16. पक्ष को नियमानुसार एफ.ए.आर. क्रय करना होगा, जिसके लिय पृथक रूप से कार्यवाही की जायेगी।
17. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1112/डी/वी.सी./2016–17, दिनांक 01.02.2017 संलग्न है, जिसका अक्षरशः अनुपालन करना होगा।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कुल शमन धनराशि रुपया 6,80,527/– (रुपया छः लाख अस्सी हजार पाँच सौ सत्ताईस मात्र) दिनांक 31.03.2017 तक प्राधिकरण कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

सहायक अभियन्ता
आगरा विकास प्राधिकरण

Scanned by CamScanner

UTR-BARBH17090776676

नगद/ड्राफ्ट/पे आर्डर

ड्राफ्ट/पे ऑर्डर वसूली होने पर ही रसीद मान्य होगी।

मूल प्रति

(जमाकर्ता प्रति)

चालान सं० 67128

दिनांक 31/03/017

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

आ० वि० प्रा० आगरा

1.आवंटी का नाम राजेश कुमार गुप्ता

2.आवंटी कोड सं० ______ फेस ______

3.योजना का नाम बसेरा हाउसिंग फतेहाबाद रोड

4.पत्रावली सं०/माँग पत्र सं० ______

सम्पत्ति का विवरण

भवन/भूखण्ड/कार्यालय/दुकान सं० एल आई जी - 61/1 61/2

जिस मद में धनराशि जमा की जानी है उसका पूरा विवरण दे अन्यथा आपके खाते में धनराशि नहीं होगी।

मद	रु० देय राशि	पै०
1. किस्त/ब्याज [illegible] किस्त	680527	00
2. मानक्षित शुल्क		
3. विकास शुल्क		
4. किराया		
5. अन्य		

कुल योग (अंकों में) 680527 00

कुल योग (शब्दों में) छः लाख अस्सी हजार पाँच सौ सत्ताईस

रोकड़िया

हस्ताक्षर जमाकर्ता

(कृपया निर्देशों के लिए पृष्ठ भाग देखें)

Scanned by CamScanner